न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 30 / 2016

उनवान

...मती रमा पुत्री मोडा, पत्नी श्री कालु, जाति किर, आयु 46 वर्ष, निवासी कुमजी का पाडा, ... गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा हाल गांव लोधा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

...पु पिता मोडा, जाति किर, आयु 50 वर्ष, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, जिला ...वाड़ा।

—: वादी

बनाम

श्रीमती पारी पत्नी चिमनलाल, जाति किर, आयु वयस्क, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, ...ला बाँसवाड़ा।

श्रीमती कंकु पत्नी मोडा, जाति किर, आयु वयस्क, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, जिला ...वाड़ा।

तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 09.3.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के पिता ...वादी संख्या 2 के पति स्व. मोडा जाति किर, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, जिला ...वाड़ा के एकमात्र खाते व कब्जे की कृषि भूमि संवत् 2044, खाता संख्या 21 के सर्वे नम्बर 1325, ...बा 0.16, 1326 रकबा 0.11, 1328 रकबा 0.16, 1336 रकबा 0.22, 1345 रकबा 0.04, 1896 रकबा 0. ... 1335 रकबा 0.10, कुल खेत नंग 7, कुल रकबा 0.89, वाके ग्राम कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, ...ला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। मूल खातेदार श्री मोडा की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु ...बाद वादीगण और प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि के मालिक व स्वामी बने है एवं स्व. मोडा का एक ...पुत्र रतु जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त खाते की भूमि पर वादीगण संयुक्त रूप से काश्त करते ...आ रहे है और आज भी वादीगण का कब्जा काश्त मौजुद है। श्री मोडा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी ...ख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त पुरा खाता नाथु, रतु व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम जरिये म्युटेशन नम्बर 71 दिनांक 19.05.1994 को खुलवा लिया एवं वादी संख्या 1 का नाम खाते में दर्ज रिकॉर्ड नहीं किया गया। जबकि वह कानूनन वादी नम्बर 1 की उक्त खाते की भूमि में स्व. श्री मोडा की पुत्री होने से उसका भी खाते में नाम दर्ज होना था, परन्तु सेहवन से खाते में उसका नाम दर्ज होना रह गया है। इसलिए वादीया संख्या 1 को उक्त खाते की भूमि में सहखातेदार कृषक घोषित करना आवश्यक है एवं मोडा की मृत्यु के बाद स्वतः ही वादी संख्या 1 उक्त भूमि की सहखातेदार कृषक बन जाती है। श्रीमती कंकु प्रतिवादी संख्या 2 व 1 ने अवैध रूप से षडयंत्र रचकर उक्त खाते की भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 1 ने मिलकर उक्त खाते की भूमि के सर्वे नम्बर 1325 रकबा 0.16, 1326 रकबा 0.11, 1345 रकबा 0.04, 1335 रकबा 010, कुल खेत नंग 4, कुल क्षेत्रफल 0.41 अवैध रूप से व फर्जी तरीके से दिनांक 16.08.2004 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विक्रय–पत्र बताकर उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज खाता [illegible] जो [illegible] व अवैध होकर काबिल निरस्ती है। प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त भूमि को विक्रय करने [illegible] कानूनी अधिकार नहीं था और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने षडयंत्र रचकर वादी संख्या 1 व उसके मृतक [illegible] का फर्जी हस्ताक्षर कर व वादी संख्या 2 का फर्जी अंगुठा कर षडयंत्र रचकर और प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या [illegible] भारी मोटी रकम प्राप्त कर अवैध व गैर कानूनी रूप से उक्त बताई [illegible] रजिस्ट्री के अनुसार जरिये म्युटेशन संख्या 226 दिनांक 27.10.2004 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त चारो सर्वे नम्बरान का खाते में नाम दर्ज करा लिया है जो विधि विरूद्व होकर काबिल निरस्ती है एवं वादीगण के विरूद्ध बेअसर व निष्प्रभावी होकर शुन्य है। वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी अभी दो माह पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के उक्त खाते की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश करने और वादीगण को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह कहने पर कि उक्त चारो खेत उसके नाम से है और वे उन्हे खेती करने नहीं देगी और वादीगण को खेती करने में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर उन्हे प्रतिवादीगण 2 व 1 द्वारा की गयी फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी हुई, उससे पूर्व वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा फर्जी रजिस्ट्री द्वारा किये गये मोटेशन को निरस्त कर वादीगण को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है। यदि वादीगण को सहखातेदार घोषित नहीं किया गया तो वादीगण उचित न्याय से वंचित हो जायेंगे और अपनी खेती के संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेंगे, इसलिये वादीगण द्वारा आप न्यायालय में एक वाद–पत्र धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीगण का वाद हेतु मूल खातेदार श्री मोडा की मृत्यु के बाद वादीया संख्या 1 का नाम खाते में दर्ज नहीं होने से एवं उसका नाम दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर फर्जी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रजिस्ट्री व वादी संख्या 2 व उसके मृतक भाई की फर्जी हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी कर अवैध रूप से मोटेशन संख्या 226, दिनांक 27.10.2004 के तहत उक्त बताये चार सर्वे नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाता दर्ज होने तथा खाता दर्ज होने के कारण एवं वर्तमान खाता संख्या 104 नया 96 पुराना के सर्वे नम्बर 1336 रकबा 0.11 व सर्वे नम्बर 1896 रकबा 0.10 में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 के साथ वादी संख्या 1 का नाम दर्ज नहीं होने से व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आज से 2 माह पूर्व वादीगण की उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न करने, अतिक्रमण करने का प्रयास करने के कारण वाद हेतु आज से 2 माह पूर्व उत्पन्न हुआ है एवं वाद–पत्र घोषणा का होने से वाद–पत्र अन्दर म्याद आप न्यायालय में पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि में अवैध रूप से बिहाईण्ड ऑफ द पार्टी खोले गये मोटेशन संख्या 71 दिनांक 19.05.1994 को खुलवा लिया एवं वादी संख्या 1 का नाम खाते में दर्ज रिकॉर्ड नहीं किया गया। उसमें वादीया संख्या 1 को वर्तमान खाता संख्या 104 नया 96 पुराना के सर्वे नम्बर 1336 रकबा 0.11 व सर्वे नम्बर 1896 रकबा 0.10 में प्रतिवादी संख्या 2 को वादी संख्या 2 के साथ खातेदार कृषक घोषित किया जाये तथा अवैध रजिस्ट्री के जरिये श्रीमती कंकु प्रतिवादी संख्या 2 व 1 ने अवैध रूप से षडयंत्र रचकर उक्त खाते की भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 व 1 ने मिलकर उक्त खातेकी भूमि के सर्वे नम्बर 1325 रकबा 0.16, 1326 रकबा 0.11, 1345 रकबा 0.04, 1335 रकबा 0.10, कुल खेत नंग 4, कुल क्षेत्रफल 0.41 अवैध रूप से व फर्जी तरीके से दिनांक 16.08.2004 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विक्रय–पत्र बताकर उक्त भूमि जरिये मोटेशन संख्या 226 दिनांक 27.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज खाता करवा दिया है उसे निरस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाकर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाने के आदेश व डिकी किये जाने हेतु आदेश व डिकी करना फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री व आदेश किया जावे कि, वादीगण की अनुमति के बिना उक्त पैरा नम्बर 1 में बताये गये नये सर्वे नम्बर 1325 रकबा 0.16, 1326 रकबा 0.11, 1345 रकबा 0.04, 1335 रकबा 0.10, कुल खेत नंग 4, कुल क्षेत्रफल 0.41 को किसी अन्य को नहीं बेचे और न ही किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे एवं वादीगण को शान्तिपूर्वक कृषि कार्य करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी करना फरमावे ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या ,01 व 02 की ओर से श्री [illegible] राव, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्नानुसार [illegible] कायम की गई:–

1) आया वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के पति [illegible] मोडा के खाते व कब्जे की कृषि भूमि संवत 2044 की खाता संख्या 21 के सर्वे नम्बर 1325 र[illegible] 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1326 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1328 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1336 रकबा 0.22 हे0, सर्वे नम्बर 1345 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 1896 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 1335 [illegible] 0.10 हे0 कुल किता 7 रकबा 0.89 हे0 भूमि वाके ग्राम कुमजी का पारड़ा तहसील गढ़ी में स्थित है।

–: वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आया उक्त भूमि के मूल खातेदार श्री मोड़ा की मृत्यु के पश्चात् वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 भूमि के मालिक व स्वामी हैं। तथा उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। श्री मोड़ा की के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्व कर्मियों से मिलकर उक्त पुरा खाता नाथु, रतु व प्रतिवादी या 2 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 71 दिनांक 19.5.94 दर्ज करवा लिया तथा वादीया संख्या श्री मोड़ा की पुत्री होने पर भी उसका नाम खातें में दर्ज नही करवाया गया। अतः वादीया 1 सहखातेदार घोषित होने की पात्र हैं।

—: वादीगण

आया प्रतिवादीया संख्या 2 ने अवैध रूप से षडयन्त्र रचकर वादी संख्या व उसके मृतक भाई रतु फर्जी हस्ताक्षर कर तथा वादी संख्या 2 का फर्जी अंगुठा कर उक्त खाते की भूमि के सर्वे नम्बर रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1326 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1345 रकबा 0.10 हे0 कुल किता रकबा 0.14 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दिनांक 16.8.2004 को विक्रय कर दी जो गैर होकर काबिल निरस्ती एंव वादीगण के विरूद्व बेअसर व निष्प्रभावी होकर शुन्य है

—: वादीगण

आया उक्त भूमि के मूल खातेदार स्व0 श्री मोड़ा की मृत्यु के उपरान्त उनकी खातेदारी भूमि की वादीया नम्बर 2 एंव मोड़ा के पुत्र रतु जिसका स्वर्गवास हो चुका है वह तथा नाथु पिता मोड़ा का मित्व एंव हक, अधिकार होने से तीनो ने मिलकर उप पंजीयन कार्यालय गढ़ी में उपस्थित होकर वादीया नम्बर 1 श्रीमति पारी के पक्ष में विक्रय कर प्रतिवादीया संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया

आया वादीया राधा का मोड़ा की पुत्री होना एंव उत्तराधिकारी होना जानकारी में नही है।

—: प्रतिवादीयान्

अनुतोषः—

वादीगण की साक्ष्य के रूप में श्रीमती राधा पुत्री मोड़ा, अमरा पिता मोड़ा, रतनजी पिता जी के शपथ–पत्र पेश होकर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी अभिभाषक को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी की साक्ष्य पेश नही होने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती हैः—

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण द्वारा खाता संख्या 21 की जमाबन्दी प्रदर्श–1 प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, इस सम्बन्ध में वाद के समर्थन में प्रस्तुत नामान्तरकरण दिनांक 19.5.95 की नकल अनुसार मूल खातेदार के फोत होने से वारिसान् के रूप में नाथु, राजु पिता मोड़ा व कंकु बेवा मोड़ा का नाम दर्ज हुआ है। अतः उक्त तनकी नकल नामान्तरकरण अनुसार वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में निर्णित की जाती है। उक्त नामान्तरकरण में वादीया संख्या 01 का नाम दर्ज होना या नही होना इसका निर्धारण न्यायालय के निर्णय में किया जाना होता है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विक्रय –पत्र को निष्प्रभावी घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होने से उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–3 एंव 4 अनुसार प्रतिवादीया संख्या 01 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीया संख्या 01 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था, प्रतिवादीगण द्वारा वादीया राधा का मोड़ा की पुत्री होना एंव उत्तराधिकारी होना जानकारी में नही होना अवगत करवाया हैं। उक्त तनकी पर निर्धारण किया जाना न्यायोचित नही है।

प्रकरण में बहस पर मनन् एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न खाता संख्या 21 की जमाबन्दी प्रदर्श–1, नकल नामान्तरकरण दिनांक 19.5.94, विक्रय–पत्र प्रदर्श–3, नकल नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 30/2016

उनवान

1) श्रीमती राधा पुत्री मोडा, पत्नी श्री कालु, जाति किर, आयु 45 वर्ष, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा हाल गांव लोधा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

2) नाथु पिता मोडा, जाति किर, आयु 50 वर्ष, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1) श्रीमती पारी पत्नी चिमनलाल, जाति किर, आयु वयस्क, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढी, जिला बाँसवाड़ा।

2) श्रीमती कंकु पत्नी मोडा, जाति किर, आयु वयस्क, निवासी कुमजी का पाडा, तहसील गढी, जिला बाँसवाड़ा।

3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 09.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा की खाता संख्या 104 (नई) 86 (पुरानी) में दर्ज खातेदारान् के साथ प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती राधा पुत्री मोड़ा पत्नि कालु किर को सहखातेदार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 09.3.2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाम्प की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनताना वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

संख्या 226 प्रदर्श–4, खाता संख्या 114 (नई) 103 की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श–5, खाता संख्या 104 (नई) 86 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श–6 आदि का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में वस्तुस्थिती यह है कि वादी संख्या 02 की पैतृक आंराजी का वर्ष 1994 में वादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया तथा वर्ष 2004 में जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में बेचान किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के सेक्शन 06, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त "प्रकाश बनाम फूलवती, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के अनुरूप वादी का बराबर हिस्सा बनता है। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्श 06 (1) के अन्तर्गत "कोई बात किसी व्ययन या अन्य संक्रामण को जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति का कोई विभाजन या वसीयती व्यय भी है, जो 20 दिसम्बर, 2004 से पूर्व किया गया था, प्रभावित या अविधिमान्य नही करेगी" इस अनुरूप प्रतिवादी संख्या 01 के किये गये विक्रय–पत्र में वर्णित सर्वे नम्बर 1325 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 1326 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 1335 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 1345 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 04 रकबा 0.41 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बदस्तुर रखतें हुऐ पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा की खाता संख्या 104 (नई) 86 (पुरानी) में दर्ज खातेदारान् के साथ प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती राधा पुत्री मोड़ा पत्नि कालु किर को सहखातेदार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का चौपासाग के मौजा कुमजी का पारड़ा की खाता संख्या 104 (नई) 86 (पुरानी) दर्ज खातेदारान् के साथ प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती राधा पुत्री मोड़ा पत्नि कालु किर को सहखातेदार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती

निर्णय आज दिनांक 09.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner